



सां/No. : 5-1(50)/2008-PD

दिनांक/Dated: 03.08.2018

**प्रेषक / From:**

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

**सेवा में / To :**

सी.एस.आई.आर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालों/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख  
The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

**Sub: Clarification regarding Dress Allowance to Staff of CSIR dispensaries**

महोदय/Sir,

It has come to the notice of this office that a couple of Labs./Instts. of CSIR had commenced payment of dress allowance w.e.f. July 2017, to some of the personnel deployed in dispensaries of the Lab./Instt.. CSIR vide letter No. 5-1(302)/2015-PD dated 11.05.2018 had already clarified that *those allowances which were hitherto paid in CSIR and have not been abolished by the Government of India will continue to be paid at the revised rates. Besides, allowances not expressly and specifically adopted by CSIR should not be paid to the employees of CSIR.*

In this context, it is reiterated that dress allowances should not be paid to any personnel deployed in the dispensaries of CSIR, with the functional designation of nurses etc., and any payment that has already been made in this regard should be recovered after following the due process as per rules.

This issues with the approval of the competent authority.

भवदीय/Yours faithfully,

*(Handwritten signature)*  
6/8/2018

(बी. के. सिंह /B. K. Singh)  
उप सचिव (नीति प्रभाग) / DS(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above  
प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) Office copy



सां/No. : 5-1(50)/2008-PD

दिनांक/Dated: 03.08.2018

**प्रेषक / From:**

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

**सेवा में / To :**

सी.एस.आई.आर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालों/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख

**विषय: सीएसआईआर डिस्पेंसरी के कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता के बारे में स्पष्टीकरण**


**महोदय/Sir,**

इस कार्यालय के नोटिस में आया है कि कुछ सीएसआईआर प्रयोगशालाओं / संस्थानों ने डिस्पेंसरी में नियोजित कुछ कर्मियों को जुलाई 2017 से ड्रेस भत्ते का भुगतान प्रारंभ किया है। सीएसआईआर ने पत्र संख्या 5-1 (302) / 2015-पीडी दिनांक 11.05.2018 के द्वारा पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि केवल उन्हीं भत्तों का भुगतान संशोधित दरों पर किया जाता रहेगा, जिन भत्तों का भुगतान अब तक सीएसआईआर द्वारा किया जाता रहा है और भारत सरकार द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएसआईआर द्वारा स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से अंगीकार नहीं किए गए भत्तों का भुगतान सीएसआईआर कर्मचारियों को नहीं किया जाए।

इस संदर्भ में, यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआईआर के डिस्पेंसरी में नियोजित किसी भी कर्मि, जिनका कार्यात्मक पदनाम नर्स आदि है, को ड्रेस भत्ते का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, और इस संबंध में पहले से किए गए किसी भी भुगतान को उचित प्रक्रिया के बाद नियमानुसार वसूल किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय/Yours faithfully,

  
(बी. के. सिंह /B. K. Singh)  
उप सचिव (नीति प्रभाग) / DS(PD)

**संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above**  
**प्रतिलिपि/Copy to:**

- 1) Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) Office copy

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110 001



सा./No. : 5-1(302)/2015-PD

दिनांक/Dated: 11.05.2018

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख  
The Directors/Heads of all National Labs./Inst./Units of CSIR

महोदय/महोदया / Sir/Madam,

सीएसआईआर के दिनांक 21.09.2017 के पत्रांक 5-1(302)/2015-पी.डी. का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भत्तों पर सातवां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में दिनांक 06.07.2017 का संकल्प सं. 11-1/12016-आई.सी. पृष्ठांकित था। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल उन्हीं भत्तों का भुगतान संशोधित दरों पर किया जात रहेगा, जिन भत्तों का भुगतान अब तक सीएसआईआर द्वारा किया गया है और भारत सरकार द्वारा उन्हें समाप्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएसआईआर द्वारा स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप से अंगीकार नहीं किए गए भत्तों का भुगतान सीएसआईआर कर्मचारियों को नहीं किया जाए।

Reference is invited to the CSIR Letter No. 5-1(302)/2015-PD dated 21.09.2017 wherein the Resolution No. 11-1/12016-IC dated 06.07.2017 regarding the recommendations of the 7th CPC on allowances was inter-alia endorsed. In this regard, it is clarified that only those allowances which were hitherto paid in CSIR and have not been abolished by the Government of India will continue to be paid at the revised rates. Besides, allowances not expressly and specifically adopted by CSIR should not be paid to the employees of CSIR.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the competent authority.

भवदीय/Yours faithfully,

*विनोद कुमार*

(विनोद कुमार / Vinod Kumar)

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / US(PD)

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ / Head, IT Division with the request to make this Circular available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रतिलिपि/Office copy.